झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) वि०–15–23 / 2015 .... / राँची, दिनांक– ....

आदेश

श्री दिलीप कुमार, तदेन लिपिक (प्रभारी रोकड़पाल) राजस्व प्रमण्डल, धुर्वा राँची के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०–16 / 13 दिनांक– 08.05.2013 धारा–7 / 13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी०) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 में इन्हें रिश्वत लेते हुए निगरानी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

2. उक्त के आलोक में श्री कुमार को विभागीय आदेश सं०– 2778 दिनांक– 21.05.2013 द्वारा दिनांक– 09.05.2013 (अपराहन्) के प्रभाव से निलंबित किया गया एवं संकल्प सं०– 4899 दिनांक– 14.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

3. उक्त थाना कांड के सापेक्ष विभागीय आदेश सं०–3498 दिनांक– 27.06.2013 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. इन्हें विभागीय आदेश सं०– 3428 दिनांक– 29.06.2016 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

5. इनके विरूद्ध दर्ज काण्ड से संबंधित मामले में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक– 04.09.2018 को पारित न्याय निर्णय में इन्हें दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड की सजा दी गई है।

6. इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय समीक्षा में इन्हें दोषी पाया गया है।

7. माननीय न्यायालय के उक्त न्यायनिर्णय के सम्यक समीक्षोपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने एवं कैद की सजा सुनाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकार नियुक्ति विभाग, पटना के परिपत्र संख्या– 10158 दिनांक– 23.08.1963 की कंडिका–9 के प्रावधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) No–684 / 1955 से उदभूत Civil Appeal No –2992 / 1995 (डियूटी डाइरेक्टर ऑफ कालेजिएट एडुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन) मद्रास बनाम एस० नागूर मीरा) में दिनांक– 24.02.1995 को पारित नियमन (ए०आई०आर० 1995 सुप्रीम कोर्ट–1364) एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1958 के नियम–170(ए) एवं (बी) के प्रावधानों के तहत् श्री दिलीप कुमार तदेन लिपिक (प्रभारी रोकड़पाल) राजस्व प्रमण्डल, धुर्वा, राँची को निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) श्री दिलीप कुमार तदेन लिपिक (प्रभारी रोकड़पाल) को सेवा से बर्खास्तगी।

(ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

7. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8. अतएव एतद द्वारा उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह० / –

सरकार के विशेष सचिव

P.T.O

ज्ञापांक : 4722 राँची / दिनांक 06/11/18

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता राजस्व प्रमण्डल, धुर्वा, राँची / नहर अंचल पदाधिकारी, राजस्व अंचल, लोहरदगा / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची / अवर सचिव, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–04, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री दिलीप कुमार, तदेन लिपिक (प्रभारी रोकड़पाल) / राजस्व प्रमण्डल, धुर्वा, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/11/18

सरकार के विशेष सचिव